उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-122/2016/आर-1987/26-3-2016-रिट(17)/2011

लखनऊःदिनांकः 21 जून, 2016

कार्यालय ज्ञाप

रिट याचिका संख्या-5407/2011 सुग्रीव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक-29.01.2011 के क्रम में याची श्री सुग्रीव पुत्र श्री धऊलर साकिन, होरलापुर थाना कोतवाली पडरौना विकासखण्ड एवं तहसील पडरौना, जनपद-कुशीनगर द्वारा राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी के समक्ष अपील दिनांक-05.03.2011 प्रस्तुत करते हुये विपक्षी श्रीमती इन्दूदेवी पत्नी श्री भंजन प्रसाद निवासी ग्राम होरलापुर तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर को गलत तरीके से 'गोड़' अनुसूचित जाति का निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या-59110403974, दिनांक-08.09.2010 को निरस्त किये जाने की मांग की गयी।

2- याची श्री सुग्रीव कुमार की उक्त अपील पर विचार किये जाने हेतु राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी की बैठक दिनांक-15.07.2011 को निर्धारित करते हुये वादी एवं प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिया गया था तथा जिलाधिकारी, कुशीनगर से आख्या मांगी गयी थी। जिलाधिकारी, कुशीनगर के पत्र दिनांक-14.07.2011 द्वारा तहसीलदार-कसया, कुशीनगर की आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी जिसमें श्री सुग्रीव द्वारा की गयी शिकायत को बलहीन बताया गया। राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी द्वारा निर्धारित तिथि को सुनवाई की गयी। स्क्रुटनी कमेटी द्वारा उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विपक्षी श्रीमती इन्दूदेवी पत्नी श्री भंजन प्रसाद निवासी ग्राम होरलापुर तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर की जाति सम्बन्धी प्रकरण की निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण के स्तर पर गठित सतर्कता प्रकोष्ठ से जांच करा ली जाय। तत्क्रम में संयुक्त सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्र संख्या-993/26-3-2011, दिनांक-17.08.2011 द्वारा निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण को याची के प्रत्यावेदन दिनांक-05.03.2011 एवं विपक्षी श्रीमती इन्दू देवी के दिनांक रहित प्रत्यावेदन को प्रेषित करते हुये निर्देशित किया गया है कि वह प्रकरण की सतर्कता प्रकोष्ठ से जांच कराकर जाँच आख्या राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी को शीघ्र उपलब्ध करायें।

3- उक्त के क्रम में निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के पत्र दिनांक-30.10.2012 द्वारा प्रकरण की सतर्कता प्रकोष्ठ से जाँच कराकर जाँच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु पुनः राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी की बैठक दिनांक-01.06.2016 को आहूत करते हुये उभयपक्षों को सुनवाई का पुनः अवसर दिया गया। उक्त तिथि को विपक्षी श्रीमती इन्दू देवी उपस्थित हुयीं। वादी श्री सुग्रीव कुमार उपस्थित नही हुयें। राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी द्वारा बैठक में सतर्कता प्रकोष्ठ की जांच आख्या एवं अपीलार्थी की अपील में उल्लिखित तथ्यों का परिशीलन किया गया।

4- प्रकरण की जांच में सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा स्थलीय भ्रमण कर शिकायतकर्ता श्री सुग्रीव तथा विपक्षी श्रीमती इन्दू देवी द्वारा प्रस्तुत गवाहों एवं राजस्व कर्मियों के बयान, गोपनीय पूंछ-ताछ एवं पक्ष एवं विपक्षी द्वारा अपने-अपने पक्ष में उपलब्ध कराये गये अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा निम्न व्यक्तियों का बयान अंकित किया गयाः-

(1)-श्री विनोद पासवान पुत्र श्री मंतापासी, ग्राम परसहवां तहसील कसया, जिला कुशीनगर हाल तैनाती जाति प्रमाण पत्र लिपिक/पेशकार न्यायिक, तहसीलदार पडरौना, जनपद-कुशीनगर उम्र 32 वर्ष, शिक्षा बी0ए0 जाति पासी ने पूंछने पर बताया कि वह तहसील पडरौना में सन् 2010 से जाति प्रमाण पत्र लिपिक पद पर कार्यरत है। श्री भंजन प्रसाद पुत्र स्व0 छेदी प्रसाद ग्राम-होरलापुर, तहसील पडरौना, जिला कुशीनगर के परिवार में श्रीमती इन्दू देवी पत्नी श्री भंजन प्रसाद, अभिषेक कुमार पुत्र श्री भंजन प्रसाद, कु0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रागिनी पुत्री श्री भंजन प्रसाद, श्री आशुतोष कुमार पुत्र श्री भंजन प्रसाद को गोड़ अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र उसके समय में लेखपाल श्री नकछेद शाह जिनका अधिकार क्षेत्र ग्राम होरलापुर था तथा श्री रामदवन सिंह, राजस्व निरीक्षक की आख्या के आधार पर तहसीलदार श्री रामविलास राम द्वारा दिनांक-08.09.2010 को जारी किया गया है। प्रमाण पत्र पर तहसीलदार के हस्ताक्षर बने है तथा आफिस कापी पर इनीसियल हस्ताक्षर श्री रामचन्द्र सिंह, प्रशासनिक अधिकारी के बने है। मै उपरोक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति प्रमाणित करके आवश्यक कार्यवाही हेतु दे रहा हू। गोड़ जाति किस जाति में है यह नही मालूम है।

(2)-श्री नकछेद शाह (लेखपाल), पुत्र स्व0 दहारी शाह, निवासी-नपानी धर्मशाला के पूर्व थाना सेवरही जनपद-कुशीनगर वर्तमान निवास-नोनिया पट्टी जगदीशपुरम् कालोनी, पडरौना, कुशीनगर हाल तैनाती, लेखपाल क्षेत्र संख्या-128 राजस्व निरीक्षक क्षेत्र सेखवनिया, तहसील-पडरौना उम्र 48 वर्ष शिक्षा एम0ए0, बी0एड0 जाति-कलवार ने पूंछने पर सशपथ बताया कि वह उक्त निवास स्थान पर रहता है। उसकी तैनाती सन् 2004 में लेखपाल इन्चार्ज के रूप में ग्राम होरलापुर में हुई थी। श्री भंजन प्रसाद, श्रीमती इन्दू देवी तथा 02 लडके एवं 01 लडकी के जाति प्रमाण पत्र उनकी 1347 फसली की खतौनी में अंकित जाति के आधार पर जारी किया गया था जारी करते समय मौके पर जा कर जांच नही किया गया था। अधिकारी के आदेश पर उसके द्वारा आख्या दी गयी थी। तहसील में ही आवेदक से पूछ कर तथा आवेदक के साथ आये लोगों से पूछ कर उसके द्वारा आख्या दी गयी थी। गोड़ अनुसूचित जाति में है अथवा पिछडी जाति में है इसकी जानकारी उसे नही है। क्षेत्र होरलापुर के राजस्व निरीक्षक श्री रामदवन ने उक्त अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र पर अपनी आख्या दिनांक-31.08.2010 को इनीसियल कर हस्ताक्षर करके डाला गया है। भंजन प्रसाद के बारे में जानकारी किया तो इनके पूर्वज पानी भरने, बर्तन मांजने, डोली ढोने तथा अनाज भूनने का काम होता था।

(3)-श्री श्रीकान्त यादव, लेखपाल द्वारा पूंछने पर सशपथ बताया गया कि वह तहसील-पडरौना में लेखपाल पद पर वर्ष 2003 से कार्यरत है। उनके क्षेत्र मनिकौरा व चैती मुसहरी में 04 घर गोड़ का निवास करता है तहसील पडरौना से गोड़ जाति का प्रमाण पत्र जारी होता है। अधिकारियों के आदेश पर गोड़ जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया था अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नही किया गया। तहसील पडरौना से काफी संख्या में गोड़ जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र गोड़ बिरादरी को तहसील से नही जारी किया गया है। गोड़ जाति के लोगों से छूआ-छूत नही मनाया जाता है। इनकी बिरादरी सर्वर्णो व पिछडी जाति के घरो में शादी विवाह के अवसर पर पानी भरने, बर्तन मांजने व खाना बनाने में सहयोग करते हैं। गोड़ जाति को पिछडी जाति में माना जाता है।

(4)-बयान श्री कृष्ण मोहन सिंह (लेखपाल) पूछने पर सशपथ बताया कि वह तहसील पडरौना में सन् 2006 से लेखपाल के पद पर कार्य कर रहा है। तहसील पडरौना में गोड़ समाज के लोग निवास करते हैं परन्तु सामाजिक तौर पर इनसे छूआछूत नही माना जाता है। गांव में सवर्णो के व पिछडी जातियों के यहां शादी विवाह क्रिया-कर्म व किसी भी फंक्शन में पानी भरने का काम करते है तथा बर्तन मांजते है तथा खाना बनाने में सहयोग करते है। अनुसूचित जाति के लोगों के यहां पानी भरने बर्तन मांजने का काम नही करते है। अन्य पिछड़ी जातियों से इनका जीवन स्तर ऊचा है। गोड़ जाति का प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का अधिकारियों के आदेश पर जारी किया जाता था। इस समय कुशीनगर जनपद में नही जारी किया जा रहा है। गोड़ जाति अनुसूचित जाति का लाभ नौकरी, आवास, प्रधान पद या राजनैतिक आरक्षण लेने के लिए बनवाते है। शिक्षा मे फीस माफ करवाने के लिऐ गोड़ जाति अनुसूचित जाति का लाभ ले रहें हैं।

(5)-श्री राजेश कुमार पासवान पुत्र श्री कृष्ण मुरारी लाल पासवान निवासी ग्राम सराय पोस्ट सरया तहसील-पडरौना जनपद-कुशीनगर उम्र 38 वर्ष शिक्षा बी0ए0 जाति दुःसाद हाल तैनाती आर0आर0के0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभिलेखागार जिला कुशीनगर उ0प्र0 ने पूंछने पर बताया कि मै उक्त पते का मूल निवासी हूँ। अभिलेखागार में मेरी तैनाती 2012 में लगभग डेढ़ माह से हूं। मुआयना के समय अभिलेखों का सुपरवीजन मेरे द्वारा किया जाता है। खतौनी व बन्दोबस्त रजिस्टर ग्राम होरलापुर कसिया का उपलब्ध है। 1359, 1356 खतौनी 1347 जिल्द बन्दोबस्त नकल खतौनी सन् 1347 बावत मौजा, होरलापुर के खाता संख्या-60 पर विकाऊ वल्द दुखी कौम गोड़ अंकित है। नकल खतौनी सन् 1356 फसली बावत मौजा कसिया के खाता संख्या-65 पर छेदी वल्द विकाऊ कौम गोड़ खाता में दर्ज है। खतौनी सन् 1359 फसली मौजा कसिया के खाता संख्या-65 पर छेदी वल्द विकाऊ में कौम नही दर्ज है। उपरोक्त खतौनी की नकल प्रमाणित करके दिया जा रहा है।

(6)-श्री सतेवन्द राय पुत्र श्री कुन्दन राय निवासी ग्राम रसौली ब्लाक गौरी बाजार तहसील देवरिया जिला देवरिया हाल तैनाती ग्राम विकास अधिकारी, ब्लाक पडरौना जिला कुशीनगर उम्र 55 वर्ष शिक्षा एम0ए0 जाति भूमिहार ने पूंछने पर सशपथ बताया कि मै सन् 2000 से ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ब्लाक पडरौना में कार्य कर रहा हूं। ग्राम होरलापुर में सेक्रेटरी का कार्य श्रीमती इन्दू देवी ग्राम प्रधान होरलापुर के ज्वाइन्ट खाता से विकास कार्य कर रहा हूं। परिवार रजिस्टर का रख-रखाव मेरे पास ही ग्राम होरलापुर का है। परिवार रजिस्टर पृष्ठ क्रमांक-78 पर श्रीमती इन्दू देवी पत्नी भंजन प्रसाद गोड़ सीरियल नम्बर-11 पर अंकित है। श्रीमती इन्दू देवी को मै भलीभांति जानता पहचानता हँ। ये जाति की गोड़ है जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। श्रीमती इन्दू देवी महिला आरक्षित सीट से सन् 2000 से 2005 तक अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र से जिला पंचायत सदस्य भी रही है। श्रीमती इन्दू देवी तथा मेरे ज्वाइंट खाता में विकास कार्य का सरकारी धन आता है। मै इन्दू देवी को गोड़ अनुसूचित जाति का जानता हूं। ग्राम प्रधान पद भी अनुसूचित जाति का सन् 2010 में था उसी सीट से विजय हुई है।

(7)श्री मुरलीधर मिश्र पुत्र स्व0 श्री अनुरूद्ध मिश्र निवासी ग्राम होरलापुर थाना पडरौना जिला कुशीनगर उम्र 44 वर्ष शिक्षा बी0ए0 हाल तैनाती प्रधानाध्यापक प्राथमिक पाठशाला होरलापुर जिला कुशीनगर जाति ब्राम्हण ने पूंछने पर बताया कि मै ग्राम होरलापुर का मूल निवासी हूं। प्राथमिक पाठशाला होरलापुर में प्रधानाध्यापक के पद पर सन् 2004 से कार्यरत हूं। मेरे गांव के श्री भंजन प्रसाद पुत्र छेदी प्रसाद है जिनका दाखिल प्राथमिक पाठशाला होरलापुर के स्कालर रजिस्टर में क्रमांक 1220 पर सन् 1974 में दाखिल हुआ है। इनका धर्म गोड़ है। श्री भंजन प्रसाद ने प्राथमिक पाठशाला से अपनी टी0सी0 सन् 1978 को लिया था। स्कालर रजिस्टर में जाति कालम नही बना है। कक्षा 5 उत्तीर्ण होने का दिनांक-30.06.1979 है। स्कालर रजिस्टर के अनुसार मैने बयान दिया जिसको तस्दीक कर रहा हूं।

(7)-श्री सुग्रीव प्रसाद पुत्र स्व0 भौलर निवासी ग्राम होरलापुर थाना पडरौना जिला कुशीनगर उम्र 65 वर्ष शिक्षा साक्षर जाति दुःसाद ने पूंछने पर बताया कि मै उपरोक्त पते का मूल निवासी हूं। सन् 2010 में ग्राम पंचायत होरलापुर में प्रधान पद के लिऐ अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट थी। मेरी बहू श्रीमती तारादेवी पत्नी जयप्रसाद ने नामांकन प्रधान पद हेतु किया था जिसमें मेरी बहू पराजित हो गयी थी। मेरे न्याय पंचायत होरलापुर से श्रीमती इन्दू देवी जो जाति की गोड़ नही है ने प्रधान पद के लिए जीत हासिल किया है, जो पिछड़ी जाति की है। मेरे न्याय पंचायत से महिला/पुरूष अनुसूचित जाति की सीट से 07 लोग उम्मीदवार थे। श्रीमती इन्दू देवी फर्जी प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का तहसील पडरौना जिला कुशीनगर से बनवाया था। प्रधान पद हेतु जिस समय ब्लाक पडरौना में नामांकन ग्राम पंचायत होरलापुर में हो रहा था उस समय तक हम लोगों को नही मालूम हुआ था कि इन्दू देवी ने फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर नामांकन किया है। चार दिन मतदान होना शेष रह गया था उस समय हम लोगों ने कहा कि इन्दू देवी गोड़ जाति की है। इसने कैसे आरक्षित सीट से प्रधान पद के लिए नामांकन कर दिया तब मैने जिलाधिकारी कुशीनगर तथा तहसीलदार पडरौना को प्रार्थना पत्र दिया था, परन्तु कोई कार्यवाही इन्दू देवी के विरूद्ध नही हुई। चुनाव कार्यालय कुशीनगर में भी प्रार्थना पत्र दिया

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

था जब कहीं सुनवाई नही हुई तब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या-5407/2011 में दाखिल किया जब कोई सुनवाई नही किया गया तब दिनांक-30-05-2011 को रिट संख्या-31619 को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे किया था।

(8)-श्री राम प्रवेश प्रसाद चौधरी पुत्र श्री गनेश प्रसाद निवासी ग्राम कसिया पोस्ट होरलापुर थाना पडरौना जिला कुशीनगर उम 42 शिक्षा इण्टरमीडिएट जाति धोबी ने पूंछने पर सशपथ बताया कि मै उपरोक्त पते पर निवास करता हूँ। सन् 2010 में ग्राम पंचायत होरलापुर में प्रधान पद अनुसूचित जाति महिला के लिए सुरक्षित थी। श्रीमती तारा देवी पत्नी जयपत प्रसाद चौधरी ने नामांकन में बताया कि प्रधान पद हेतु नामांकन किया था जिसमें तारा देवी चुनाव हार गयी थी। श्रीमती इन्दू देवी जो जाति की कहार ने प्रधान पद गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जीत हासिल किया है। श्रीमती इन्दू देवी पिछड़ी जाति की महिला है। तहसील पडरौना से गोड़ जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति की सीट से गलत ढंग से प्रधान पद पर श्रीमती इन्दू देवी आसीन है जो असंवैधानिक है। जब हम लोगों को मालूम हुआ कि श्रीमती इन्दू देवी ने गलत प्रमाण पत्र तहसील पडरौना से बनवाकर अनुसूचित जाति महिला की सीट से चुनाव लड़ रही है तब हम लोगों ने जिलाधिकारी, कुशीनगर को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई सुनवाई नही किया गया, तब मेरे गांव के श्री सुग्रीव प्रसाद ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट किया था।

(9)-श्री बंका सिंह पुत्र स्व0 श्री रामलाल सिंह निवासी ग्राम होरलापुर तहसील-पडरौना जिला कुशीनगर उम्र 106 वर्ष शिक्षा अशिक्षित जाति (ठाकुर) ने पूंछने पर सशपथ बताया कि मै उक्त पते का मूल निवासी हूं। मै स्व0 छेदी प्रसाद पुत्र दुखी निवासी ग्राम होरलापुर को भलीभांति जानता पहचानता हूं। छेदी प्रसाद के तीन लड़के है। इनकी जाति कहार है छेदी प्रसाद हम लोगों के यहां शादी विवाह, क्रिया-कर्म में पानी भरा करते थे, अनाज भूनने का काम करते थे तथा डोली ढोते थे। रामनैतिक शर्मा के घर के बगल में भरसाय थी। जिसमें छेदी प्रसाद की पत्नी अनाज भूनती थी। भंजन प्रसाद तथा उनके परिवार वाले गोड़ लिखने लगे। आम भाषा में भंजन प्रसाद, महेन्द्र प्रसाद, रोहित प्रसाद को गोड़ कहने लगे। इनकी वास्तविक जाति कहार है जो पिछडी जाति में है। गोड़ जाति अनुसूचित जाति में नही है। अनुसूचित जाति का लाभ लेने के लिए गोड़ लिखने लगे।

(10)श्री महेन्द्र लाल पुत्र स्व0 ब्रजनारायन लाल निवासी ग्राम होरलापुर तहसील पडरौना जिला कुशीनगर उम्र 52 वर्ष शिक्षा इण्टर पास हाल तैनाती पूर्व माध्यमिक विद्यालय जिमना तहसील-कसया जिला कुशीनगर जाति कायस्थ ने पूंछने पर सशपथ बताया कि उक्त पते का मूल निवासी हूं। मै भंजन प्रसाद पुत्र छेदी प्रसाद को भली भांति जानता पहचानता हूँ। इनके परिवार के लोग पानी भरने, डोली ढोना तथा अनाज भूनने का काम करते थे। गांव की भाषा में भंजन प्रसाद तथा छेदी प्रसाद को गोड़ कहते है। इनकी जाति कहार है। कहार को पिछड़ी जाति में रखा गया है। गोड़ का लाभ लेने के लिए भंजन प्रसाद ने अपनी पत्नी श्रीमती इन्दू देवी के नाम से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र तहसील पडरौना से बनवाकर 2010 में आरक्षित सीट महिला से प्रधान हो गयी है।

(11)-श्री भरत प्रसाद मिश्र पुत्र स्व0 श्री हट्ठी प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम होरलापुर तहसील पडरौना जिला कुशीनगर उम्र 78 वर्ष इण्टर पास जाति ब्राम्हण ने पूंछने पर सशपथ बताया कि मै उपरोक्त पते का मूल निवासी हूं। मै छेदी प्रसाद पुत्र स्व0 श्री विकाऊ निवासी होरलापुर को भली भांति जानता पहचानता हूं। इनका मकान मेरे पुराने मकान से उत्तर सटे है। इनकी जाति गांव की भाषा में गोड़ कहते थे। भंजन प्रसाद के पूर्वज लोग बड़े लोगों के यहां बर्तन मांजते थे, पानी भरते थे, भूजा भूजते थे तथा डोली ढोने का काम करते थे। अब इनको गोड़ कहने लगे। श्रीमती इन्दू देवी अनुसूचित जाति महिला आरक्षित सीट से सन् 2010 में ग्राम पंचायत होरलापुर से ग्राम प्रधान चुनी गयी है। तहसील पडरौना से श्रीमती इन्दू देवी को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12)-श्री संतोष कुमार शर्मा पुत्र श्री राजकिशोर विश्वकर्मा निवासी ग्राम होरलापुर तहसील व पोस्ट पडरौना जिला कुशीनगर उम्र 35 वर्ष शिक्षा इण्टर पास जाति विश्वकर्मा ने पूंछने पर सशपथ बताया कि मै उपरोक्त पते का मूल निवासी हूँ। मै ग्राम पंचायत होरलापुर के ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दू देवी पत्नी श्री भंजन प्रसाद निवासी ग्राम होरलापुर को भली भांति जानता पहचानता हूं। मेरे गांव में बाबू साहब लोग, पण्डित जी लोग, लोहार, कहार, हरिजन, केवट, दुःसाद, गुप्ता व एक घर मुस्लिम नाई का है। गोड़ बिरादरी का कोई घर नही है। तीन चार घर खरवार का है। 2010 में मेरे ग्राम पंचायत होरलापुर की प्रधान सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित थी। जिसमें ग्राम पंचायत होरलापुर की प्रधान सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित थी जिसमें श्री रामप्रवेश तथा श्रीमती तारा देवी एवं राजकुमार चमार तथा इन्दू देवी ने चुनाव लड़ा था। मै अच्छी तरीके से उक्त लोगों की जाति के बारे में जानता हूं। मेरे गांव में गोड़ बिरादरी से छुआछूत नही मानते है। चुनाव के दौरान किसी ने कोई जाति सम्बन्धी शिकायत नही किया था। प्रधान पद की घोषणा हो जाने के पश्चात लोगों ने प्रार्थना पत्र देना शुरू किया।

(13)-श्रीमती इन्दू देवी पुत्री श्री श्याम नारायन निवासी पडरी मिश्रपुर थाना कुबेर स्थान तहसील पडरौना जिला कुशीनगर हाल पता ग्राम व पोस्ट होरलापुर उम्र 42 वर्ष शिक्षा कक्षा-08 पास ने पूंछने पर सशपथ बताया कि मेरा मायका ग्राम पडरी मिश्रपुर में है जो ब्लाक पडरौना व तहसील पडरौना में पड़ता है। मेरे पिता श्री श्याम नारायन है। मेरी शादी श्री भंजन प्रसाद पुत्र स्व0 छेदी प्रसाद निवासी ग्राम होरलापुर के साथ हुयी है। मैने अपना जाति प्रमाण पत्र तहसील पडरौना से गोड़ जाति का बनवाया था। जाति प्रमाण पत्र में मेरे पति श्री भंजन प्रसाद का नाम दर्ज है। वर्तमान में मै ग्राम पंचायत होरलापुर से प्रधान पद के लिए 2010 में चुनाव जीती थी। मै अनुसूचित जाति की महिला हूं। मेरे ग्राम पंचायत होरलापुर से श्रीमती तारा देवी पत्नी जयपत प्रसाद तथा श्रीमती गीता व स्व0 रामप्रवेश चौधरी चुनाव मैदान में थे। चुनाव जीतने के पश्चात श्री सुग्रीव पुत्र स्व0 धऊलर निवासी ग्राम होरलापुर ने मेरे विरूद्ध जाति सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिया है कि इन्दू देवी ने फर्जी प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का बनवाकर चुनाव लड़ा है। मेरी सगी दो बहन मंजू पत्नी सुरजीत निवासी ग्राम धरमंगल छपरा तहसील पडरौना जिला कुशीनगर तथा संध्या पत्नी धर्मेन्द्र पुत्र सोहन थाना तुरपट्टी जिला कुशीनगर तथा तीन सगे भाई है जो घर पर ही रहते है। मेरे मायके के लोग मजदूरी तथा खेती का काम करते थे। मेरी जाति गोड़ है। दाना भूनने वालों के बारे में मुझे कोई जानकारी नही है। मुझे परेशान करने की नीयत से झूठा प्रार्थना पत्र लोग दिया करते है।

(14)-भंजन प्रसाद पुत्र स्व छेदी प्रसाद निवासी ग्राम होरलापुर तहसील पडरौना जिला कुशीनगर उम्र 42 वर्ष शिक्षा एम0एम0 राजनीति शास्त्र जाति गोड़ ने पूंछने पर सशपथ बताया कि मै उपरोक्त पते का मूल निवासी हूं। मै कक्षा-5 प्राथमिक पाठशाला होरलापुर से लगभग 35 वर्ष पहले पास किया था। पहले हमारे गांव में गोड़ बिरादरी के लगभग एक घर है वह मेरा ही है और गोड़ बिरादरी का कोई नही रहता है। मेरे गांव में ब्राम्हण, सैथवार, लोहार, दुःसाद, चमार, धोबी आदि निवास करते है। मै जिला पंचायत कार्यालय कुशीनगर में कर समाहर्ता पद पर नौकरी करता हूं। मै तीन भाई हूँ। 1-महेन्द्र प्रसाद घर पर रहते है, 2-रोहित प्रसाद सिंचाई विभाग पडरौना में चपरासी के पद पर नौकरी कर रहें है। मेरे पिता स्व0 श्री छेदी प्रसाद सिंचाई विभाग में नौकरी करते थे जो अनुसूचित जाति आरक्षित कोटे से नौकरी पाये थे। मै भी अनुसूचित जाति कोटे से नौकरी कर रहा हूँ। शादी विवाह मै अपनी जाति बिरादरी में करता हूं। मेरे पास एक बीघा जमीन से कम जमीन है। मै गोड़ बिरादरी का हूं। मेरी 05 बहनों की शादी गोड़ बिरादरी में हुआ है, जो अनुसूचित जाति के है।

(15)-श्री मन्दिर प्रसाद शर्मा पुत्र स्व0 सीताराम शर्मा निवासी मिश्र पट्टी तहसील पडरौना जिला कुशीनगर उम्र 56 वर्ष शिक्षा बी0एम0 जाति लोहार ने पूंछने पर सशपथ बताया कि मै उपरोक्त पते का मूल निवासी हूं। मै श्री श्याम नारायन गोंड को भली भांति जानता पहचानता हूं। ये मेरे ही गांव के मूल निवासी है। श्री श्याम नारायन का परिवार कहीं से आकर मिश्र पट्टी में नही बसा है। पूर्वजों के समय से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ही इनका परिवार मिश्र पट्टी में रह रहा है। गोड़ परिवार के लगभग 06 व 07 घर मिश्र पट्टी में निवास कर रहा है। मै ग्राम पंचायत मिश्र पट्टी का पूर्व प्रधान सन् 1989 में रह चुका हूं। मेरे गांव में यादव, कालू, कलवार, मुस्लिम, अन्सारी, गोड़ तथा लोहार निवास करते है। मेरे समय में किसी भी बिरादरी के पढ़ने वाले बच्चों को स्कालरशिप नही मिलता था। इस समय लगभग सभी जाति के पढ़ने वाले बच्चों को स्कालरशिप मिल रहा है। गोड़ जाति जनपद-कुशीनगर में अनुसूचित जाति में है। इनकों तहसील स्तर से जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का निर्गत किया जा रहा है।

(16)-श्री श्याम नारायन पुत्र स्व0 श्री ठाकुर प्रसाद गोड़ निवासी मिश्र पट्टी थाना कुबेर स्थान तहसील पडरौना जिला कुशीनगर उम्र 71 वर्ष शिक्षा कक्षा 05 पास जाति गोड़ ने पूंछने पर सशपथ बताया कि मै उक्त पते का मूल निवासी हूं। हम लोग काफी समय से इसी गांव में निवास कर रहा हूं। मेरे पिता खेती किसानी का काम करते है। मेरे तीन लडके 1. प्रेम कुमार गोड़, 2. मनोज कुमार गोड़, 3. अरविन्द कुमार गोड़ तथा तीन लडकियां 1. मन्जू, देवी, 2. इन्दू देवी, 3. संध्या है। मेरी तीनों लडकियां पढी लिखी नही है। मेरे पिता जी ने प्राथमिक पाठशाला पडरी में मेरा नाम लिखवाया था। कक्षा-5 मैने प्राथमिक पाठशाला पडरी से सन् 1956-57 में पास किया था। मेरे पूर्वज बैलगाड़ी से चावल, धान तथा अनाज का काम करते थे। पश्चिम चम्पारन से बैलगाड़ी से अनाज भाड़े पर लाते थे। इस समय ट्रैक्टर से किसानी का काम होता है। हम जाति के गोड़ है जो अनुसूचित जाति में है। हम लोग अनुसूचित जाति का लाभ लेते चले आये है।

सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा स्थलीय भ्रमण के समय श्री राधा मिश्र पुत्र स्व0 श्री श्याम बिहारी मिश्र, निवासी ग्राम होरलापुर उम्र 65 वर्ष, श्री कृष्ण मोहन मिश्र पुत्र स्व0 श्री चन्दर मिश्र निवासी ग्राम होरलापुर उम्र 64 वर्ष, श्री स्वामी नाथ चमार पुत्र स्व0 श्री बन्धन निवासी ग्राम होरलापुर उम्र 65 वर्ष, श्री रेखा प्रसाद पुत्र स्व0श्री अयोध्या प्रसाद, दुःसाद निवासी ग्राम होरलापुर उम्र 55 वर्ष, श्री उदित सिहं पुत्र श्री बंका सिंह, क्षत्रिय निवासी ग्राम होरलापुर उम्र 66 वर्ष से गोपनीय रूप से पूछ-तांछ करने पर श्रीमती इन्दू देवी पत्नी श्री भंजन प्रसाद की जाति कहार/गोड़ होने की पुष्टि हुई है।

5- सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा जांच के दौरान प्राप्त अभिलेख एवं व्यक्तियों द्वारा दिये गये बयान तथा स्थलीय पूछ-तांछ के विवेचन से यह स्थिति प्रकाश में आयी कि श्रीमती इन्दू देवी पत्नी भंजन प्रसाद निवासी ग्राम, होरलापुर तहसील-पडरौन, जिला-कुशीनगर के नाम से तहसीलदार पडरौना द्वारा गोड़ जाति का प्रमाण पत्र दिनांक-08-09-2010 को निर्गत किया गया। श्रीमती इन्दू देवी पत्नी श्री भंजन प्रसाद के नाम से गोड़ जाति का प्रमाण पत्र दिनांक-01-06-2000 को पूर्व में तहसीलदार पडरौना द्वारा निर्गत किया गया था। जबकि जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम के साथ निर्गत होना चाहिए था। खतौनी बन्दोबस्त 1347 ग्राम होरलापुर में खाता संख्या-60 पर विकाऊ वल्द दुखी कौम गोड़ अंकित है। खतौनी 1356 फसली ग्राम कसिया में खाता संख्या-65 पर छेदी वल्द विकाऊ कौम गोड़ दर्ज है तथा खतौनी 1359 फसली मौजा कसिया खाता संख्या-65 पर छेदी वल्द विकाऊ में कौम दर्ज नही है। इसके अतिरिक्त खतौनी संख्या-1325 फसली का सत्यापन राजस्व अभिलेखों से नही हो सका।

श्री भंजन प्रसाद पुत्र स्व0 छेदी प्रसाद, श्रीमती इन्दू देवी पत्नी भंजन प्रसाद श्री अभिषेक कुमार पुत्र भंजन प्रसाद, आशुतोष कुमार पुत्र भंजन प्रसाद तथा कु0 रागिनी पुत्री भंजन प्रसाद को निर्गत तहसील पडरौना से जाति प्रमाण पत्रों के साथ प्राप्त इन सभी के बयान हल्की व आवेदन पत्र के अनुसार इन सभी व्यक्तियों द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपयोग किये जाने की पुष्टि हुयी। उक्त व्यक्तियों को प्रमाण पत्र तहसील के कार्यालय पंजिका क्रमशः 3133, 3134, 3136 तथा 3137 पर दिनांक-08-09-2010 को तहसील पडरौना जिला कुशीनगर से निर्गत हुआ है। श्रीमती इन्दू देवी व श्री भंजन प्रसाद ग्राम-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जिला कुशीनगर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 'गोंड' जाति के नही है बल्कि इनकी वास्तविक जाति 'कहार' अन्य पिछड़े वर्ग की है। ग्रामवासियों द्वारा आम बोलचाल की भाषा में गोड़ कहा जाने लगा है। वास्तव में ये लोग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

'कहार' जाति के हैं। अनुसूचित जाति के रूप में परिभाषित जाति 'गोंड'(Gond) व 'गोड़'(Gonr)/कहार के शब्दों में समानता होने के कारण इन लोगों के द्वारा गलत तरीके से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लाभ प्राप्त किया गया है। जबकि यह अन्य पिछड़े वर्ग की 'कहार' जाति के सदस्य है।

6- अतएव प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यों/अभिलेखों के परिशीलनोपरान्त राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि श्रीमती इन्दू देवी पत्नी भंजन प्रसाद निवासी ग्राम, होरलापुर तहसील-पडरौना, जिला-कुशीनगर 'गोंड' अनुसूचित जाति की सदस्य नही हैं बल्कि इनकी वास्तविक जाति 'कहार' अन्य पिछड़े वर्ग की है। तदनुसार याची श्री सुग्रीव कुमार पुत्र श्री धऊलर ग्राम होरलापुर, तहसील-पडरौना जिला कुशीनगर की अपील दिनांक-05-03-2011 को उपरोक्तानुसार एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

विकास शर्मा, संयुक्त निदेशक, प्रतिनिधि निदेशालय पिछडा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ	केदार नाथ निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ	सुनील कुमार प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी उ0प्र0शासन

<u>पृ0संख्या-122/2016/आर-1987(1)/26-3-2016 तददिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
4. श्रीमती इन्दू देवी पत्नी भंजन प्रसाद निवासी ग्राम, होरलापुर तहसील-पडरौना, जिला-कुशीनगर।
5. श्री सुग्रीव कुमार पुत्र श्री धऊलर ग्राम होरलापुर, तहसील-पडरौना जिला कुशीनगर।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।